

144 दफ्तर सं०

आदेश पत्र

उभय क्षीमा समाप्त

मसाह दास गुडिया

वाम

सनैम गुडिया की

M-58/2018

सं० 20

आदेश का क्रम-संख्या

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख--सहित

2

3

3/5-1/18

नतीहा दास गुडिया के आनिर्देश द्वारा
सूचित किया गया है कि निम्नलिखित जमीन को लेकर उभय पक्षों में तनाव है और
शांति बना देने की आवश्यक है। अतः आदेश के द्वा० सं० की धारा 144 के
अंतर्गत कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।

127
3/5-1/18

जमीन का विवरण

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
तपकरा	२९	1253	०.49 एकड़

भीददी

उत्तर-प्रदीप

दक्षिण - वन विभाग का मकान

पूरव - रवीन्द्र राम

पश्चिम - अक्षय

अतः मैं अनु० दण्डा०

खुंटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संबुद्ध होकर विवादित जमीन पर द० प्र० सं० की धारा 144 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्ष करे तकशरी जमीन पर जागे से 60 (साठ) दिनों तक रोक लगाता हूँ।

उभय पक्ष को कारण पत्र नोटिस निर्गत करें।

दिनांक 15/5/18 रखें।

15/5/18
अनुमंडल दण्डाधिकारी

3/8/18

प्रथम पक्ष उपस्थित / विनियम पक्ष
अध्यापक पक्ष में 31 उपस्थित दिनांक 07.8.18
को रविवार 07.8.18 को उपस्थित हुए कि प्रमाणित
कि + प्रमाण / उपस्थित

03/8/18

7/8/18

प्रथम पक्ष उपस्थित / अध्यापक पक्ष
दोषाते के कारण वारी कार्य वारी विचार
किया जायेगा

7/8/18

अध्यापक पक्ष में उपस्थित दिनांक 07.8.18
को रविवार 07.8.18 को उपस्थित हुए कि प्रमाणित
कि + प्रमाण / उपस्थित

7/8/18